



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 408]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2012—भाद्र 29, शक 1934

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 2-24-2010-1-चौतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 है.

(2) ये नियम, इनके मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, अनुसूची एक क तथा दो ख के कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ;
- (ख) “आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी” से अभिप्रेत है, उन कर्मचारियों को अपवर्जित करते हुए, कोई व्यक्ति जो किसी कार्यालय अथवा स्थापना में पूर्णकालिक रूप से नियोजित हो और जिसे मासिक आधार पर भुगतान किया जाता हो तथा जिसका वेतन कार्यालय की आकस्मिकता निधि पर भारित हो और जो किसी वर्ष में केवल कुछ अवधियों के लिए नियोजित रहे हों;
- (ग) “कर्मचारी” से अभिप्रेत है, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाला कर्मचारी;
- (घ) “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (ङ) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

- (च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;
- (छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति अथवा जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;
- (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;
- (झ) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा ;
- (ञ) "कार्यभारित कर्मचारी" से अभिप्रेत है कार्य के सामान्य पर्यवेक्षण से अन्यथा किसी कार्य के वास्तविक निष्पादन के लिए नियोजित कोई व्यक्ति अथवा पर्यवेक्षण से संबंधित कार्य के लिए उन कर्मचारियों को अपवर्जित करते हुए, जिन्हें दैनिक मजदूरी के आधार पर या मस्टर रोल पर भुगतान किया जाता है, विभागीय श्रमिक के रूप में स्टोर में, विद्युत् उपकरण तथा मशीनरी इत्यादि को चलाने तथा उनके संधारण से संबंधित कार्य के लिए नियोजित कोई व्यक्ति।

3. विस्तार तथा लागू होना.—

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.—

सेवा का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा, अर्थात् :—

- (क) कोई व्यक्ति, जिसने 1 जनवरी, 2011 को, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त कर्मचारी के रूप में सेवा का कम से कम एक वर्ष पूर्ण कर लिया हो और जो उस तारीख को, अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट पदों में से कोई पद धारण कर रहा हो या जिसने उस तारीख को राज्य सरकार के नियमित नियोजन में समान पद धारण करने वाले कर्मचारियों के लिये विहित अधिवार्षिकी आयु पूर्ण न की हो।
- (ख) कोई व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अधीन इस सेवा में भर्ती किया गया हो।

5. सेवा का वर्गीकरण तथा पदों की संख्या.—

सेवा का वर्गीकरण तथा उसमें सम्मिलित पदों की संख्या तथा उनके लिए नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूची एक क और एक ख में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे।

6. श्रेणीकरण.— इन नियमों के प्रयोजनों के लिए कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) स्थायी ; और

(ख) अस्थायी,

ऐसा कर्मचारी जिसने 1 जनवरी, 2011 को सेवा के पन्द्रह वर्ष पूर्ण कर लिए हों, स्थायी कर्मचारी तथा जिसने 1 जनवरी, 2011 को सेवा के पन्द्रह वर्ष पूर्ण न किए हों, अस्थायी कर्मचारी होगा।

7. भरती का तरीका:— (1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन स्थापना, भर्ती तथा वरिष्ठता को सम्मिलित करते हुए समस्त प्रयोजनों के लिए एक इकाई गठित करेगी।

(2) आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) स्थानांतरण द्वारा।

(3) प्रत्येक जिले में, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति गठित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) वृत्त का अधीक्षण यंत्री अध्यक्ष

(ख) कार्यपालन यंत्री सदस्य (अधीक्षण यंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट)

(ग) यथार्थिति, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से राजपत्रित श्रेणी — दो से अनिम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी सदस्य

(4) इस सेवा के अधीन किसी पद पर नियुक्ति, उपनियम (3) के अधीन गठित समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

(5) इन नियमों में की कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथैव अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

- (6) इस सेवा के अधीन पदों पर सीधी भर्ती रोजगार कार्यालय द्वारा तैयार सूची में से, जब संबंधित स्थापना द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए मांगी जाए, की जाएगी और यदि रोजगार कार्यालय द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाकर भर्ती की जाएगी।
- (7) पदों को भरने के लिये शैक्षणिक अर्हताएं ऐसी होंगी जैसी कि तत्स्थानी पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमित कर्मचारियों के लिये विहित की गई हों, जहां ऐसे कोई तत्स्थानी पद न हों वहां शैक्षणिक अर्हता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की जाएगी।
- (8) न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने वाला कोई ऐसा कर्मचारी भी, जिससे शैक्षणिक अर्हता के साथ साथ कम से कम 3 वर्ष की निरंतर सेवा अपेक्षित हो, कार्यभारित, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा।
- (9) जहाँ प्रशिक्षण के संबंध में अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, वहां इस शर्त के अधीन कि संबंधित स्थापना द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रशिक्षण के अवसर का लाभ लेने के पश्चात् उन्हें निश्चित कालावधि के भीतर ऐसे प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित अर्हता प्राप्त करनी होगी, अप्रशिक्षित अभ्यर्थी भी भर्ती किए जा सकेंगे।
- (10) सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को होरीजेण्टल तथा कम्पार्टमेंट आधार पर आरक्षण दिया जाएगा।

8. नये सदस्यों की शारीरिक योग्यता और अधिवार्षिकी आयु.— नये सदस्यों के लिए भर्ती के लिए शारीरिक योग्यता और अधिवार्षिकी आयु वही होगी जो नियमित नियोजन में समान प्रवर्गों वाले सरकारी सेवकों के लिए लागू होती है।

9. वरिष्ठता सूची.— प्रत्येक इकाई में, प्रत्येक वर्ग को वरिष्ठता सूची मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 को ध्यान में रखते हुए बनाये रखी जाएगी। छंटनी के प्रयोजन के लिए जहां कि शासन के हित में कोई कर्मचारी एक से दूसरी इकाई में स्थानांतरित किया

जाता है, तो छंटनी के विषय में मूल इकाई में उसकी सेवा की निरंतरता को विचार में लिया जाएगा।

10. सेवा अभिलेख.— स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के समुचित सेवा अभिलेख इकाई स्तर पर सम्यक् रूप से उसी प्रोफार्मा में सत्यापित किए जाएंगे जो कि राज्य सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उपयोग में लाया जाता है।
11. सेवोन्मुक्ति प्रमाण पत्र.— उस दशा में जहां कि कोई कर्मचारी छंटनी के परिणामस्वरूप सेवा छोड़ता है, उसे, मांगे जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्ररूप में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, अर्थात् : —
- (1) नाम :
 - (2) पिता/पति का नाम :
 - (3) पहचान चिन्ह (यदि कोई हों तो) :
 - (4) कुल सेवा :सेतक
 - (5) छोड़ते समय धारित नियुक्ति :
 - (6) वेतनमान की दर (यदि कोई हो तो) :
 - (7) सेवा छोड़ने का कारण :

कर्मचारी के
हस्ताक्षर या अगूठे का निशान

हस्ताक्षर
नियुक्ति प्राधिकारी की मुद्रा
तथा पदनाम

- 12 आचरण.— मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपबंध सेवा के सदस्यों को लागू होंगे :

परंतु कदाचार में किसी कर्मचारी की ओर से किए गए निम्नलिखित कार्य तथा लोप भी सम्मिलित होंगे, अर्थात् : —

- (क) शासकीय कारबार या संपत्ति के संबंध में चोरी, कपट या बेईमानी ;
- (ख) वरिष्ठ के किसी विधिपूर्ण या युक्तियुक्त आदेश की या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ जानबूझकर अवज्ञा ;
- (ग) शासकीय माल या संपत्ति की जानबूझकर क्षति या हानि ;

- (घ) शासकीय कार्य को करने के लिए रिश्तत या कोई पारितोषिक लेना या देना ;
- (ङ) विलंब से उपस्थित होने का अभ्यस्त होना ;
- (च) बिना अवकाश के अनुपस्थित रहने अथवा बिना अवकाश के दस से अधिक दिनों तक अनुपस्थित रहने का अभ्यस्त होना ;
- (छ) इस स्थापना अथवा विभाग के कर्मचारी को लागू किन्हीं आचरण नियमों के भंग का अभ्यस्त होना ;
- (ज) स्थापना या विभाग में कामकाज के घंटों के दौरान बलवाई या विच्छुरवल व्यवहार या अनुशासन विरोधी कोई कार्य ;
- (झ) कार्य की आभ्यासिक उपेक्षा जिसमें काम के घंटों के दौरान सोना सम्मिलित है ;
- (ञ) किसी कार्य या लोप की बारबार पुनरावृत्ति ;
- (ट) कार्य के संपादन में जानबूझकर मन्दगति ;
- (ठ) किसी कर्मचारी द्वारा किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को विभागीय जानकारी का प्रकटन;
- (ड) विभाग की स्थापना के परिसर में जुआ और सट्टा खेलना ;
- (ढ) तत्समय विधि का बल रखने वाली किसी विधि या नियम के उपबंधों के उल्लंघन में हड़ताल करना या अन्य लोगों को हड़ताल पर जाने के लिए उकसाना ;
- (ण) काम के घंटों के दौरान मद्यपान या किसी भांति का नशा करना ;
- (त) राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध कोई कार्रवाई ।

13 शास्तियां.— किसी अच्छे तथा पर्याप्त कारणों से किसी कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी, अर्थात् :—

- (क) परिनिंदा ;
- (ख) एक बार में एक दिन की उपलब्धियों से अनधिक जुर्माना ;
- (ग) वेतनवृद्धियों या प्रदोन्नतियों को रोका जाना ;
- (घ) किसी विधि की उपेक्षा या भंग द्वारा शासन को कारित किसी संपूर्ण आर्थिक हानि या उसके किसी भाग की वेतन से वसूली ;
- (ङ) एक बार में 14 दिन से अनधिक की किसी कालावधि के लिये निलंबन (किसी मजदूरी के लिये हकदार हुए बिना) ;
- (च) निम्नतर पद या ग्रेड पर प्रतिवर्तन ;

- (छ) सेवा से हटाया जाना भावी नियोजन के लिये निरहर्ता नहीं होगी ;
 (ज) सेवा से पदच्युत किया जाना भावी नियोजन के लिये निरहर्ता होगी।

14 शास्तियां अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया:—

(1) नियम 13 के खण्ड (च), (छ) और (ज) में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी शास्तियों को अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि : —

- (क) कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के प्रस्ताव तथा उन आरोपों के बारे में, जिन पर कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है जबकि ऐसा किया जाना संभव हो, लिखित में सूचित न कर दिया गया हो ;
 (ख) कर्मचारी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए सुनवाई का एक अवसर न दे दिया गया हो ;
 (ग) ऐसा स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, विचार में लिया गया है, तब कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना पदच्युत नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसा किया जाना तब आवश्यक नहीं होगा जब विभागाध्यक्ष, राज्य की सुरक्षा के आधार पर किसी कर्मचारी को सेवा से हटाया जाना आवश्यक समझे।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट लिखित में कोई आदेश कर्मचारी को परिदत्त किए जाने पर तुरंत प्रभावी हो जाएगा तथा कर्मचारी द्वारा परिदान स्वीकार किए जाने से इंकार किए जाने की दशा में यह, उस स्थापना के सूचना पटल पर जिसमें कि वह है चिपका दिया जाएगा और सूचना पटल पर उसका ऐसा चिपका दिया जाना उस पर तामील कर दिया जाना समझा जाएगा।

15 अपील.— (1) कर्मचारी नियम 13 के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन उस पर अधिरोपित शास्ति के सिवाय ऊपर नियम 13 के अधीन उस पर अधिरोपित किसी शास्ति के विरुद्ध कोई अपील, शास्ति अधिरोपित किए जाने से एक मास की किसी कालावधि के भीतर उस प्राधिकारी से ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी को जिसने कि शास्ति अधिरोपित की है, कर सकेगा, ऐसे अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई अपील सीधे अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत की जा सकेगी।

16 निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका कि उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

17 शिथिलीकरण.— इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे कि यह नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति में जैसी कि उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत हो, कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु मामले में किसी ऐसी रीति में कार्यवाही नहीं की जाएगी जो कि उसके लिए इन नियमों में उपबंधित रीति से कम अनुकूल हो ।

18 निरसन तथा व्यावृत्ति.— इन नियमों के ठीक पूर्व प्रवृत्त मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा (सेवा तथा भर्ती की शर्तें) नियम, 1980, इन नियमों द्वारा समाविष्ट मामलों के संबंध में एतद्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची एक - क
(नियम-5 देखिए)

कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से संदाय किए जाने वाले तृतीय श्रेणी
कर्मचारियों की सेवा का वर्गीकरण और पदों की संख्या

अनु.- क्रमांक	पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	एयर कम्प्रेसर आपरेटर	73	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
2.	इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-3	80	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
3.	कारपेन्टर	35	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
4.	सहायक केमिस्ट	117	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
5.	केमिस्ट	21	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+2800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
6.	क्लोरीन आपरेटर	31	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
7.	मीटर रीडर	114	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
8.	मैकेनिक ग्रेड-3	219	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
9.	बिल लिपिक	65	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
10.	अनुसंधान सहायक	22	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+2800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
11.	शिफ्ट इंचार्ज	17	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
12.	सहायक फिटर	18	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
13.	फिटर ग्रेड-3	65	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
14.	फिल्टर आपरेटर ग्रेड-3	72	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
15.	पंप चालक	142	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
16.	पंप आपरेटर	122	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
17.	पेंटर ग्रेड-3	07	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
18.	प्लम्बर	257	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
19.	प्रयोगशाला सहायक	133	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
20.	समयपाल	388	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
21.	स्टोर क्लर्क	193	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
22.	वायरमेन	85	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
23.	वाहन चालक	599	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
24.	वेल्डर	16	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
25.	हैण्डपंप तकनीशियन	1039	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+2100 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
26.	टर्नर	15	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
27.	पाईप फिटर	27	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
28.	फिल्टर फिटर	18	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
29.	उपयंत्री	51	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+2800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
30.	फिल्टर सहायक	13	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
31.	सहायक रिग आपरेटर	85	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+2100 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
32.	रिग आपरेटर	104	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+2800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
33.	ड्रिलर	06	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
34.	सहायक ग्रेड-3	17	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1800 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
35.	सहायक ग्रेड-2	06	तृतीय श्रेणी	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता

अनुसूची एक — ख
(नियम-5 देखिए)

कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से संदाय किए जाने वाले चतुर्थ श्रेणी
कर्मचारियों की सेवा का वर्गीकरण और पदों की संख्या

अनु- क्रमांक	पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाटर ड्रालीमेन	11	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
2.	फिल्टर अटेंडेंट	24	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
3.	खानसामा	07	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
4.	खल्लासी	86	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
5.	कामगार	77	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
6.	क्लीनर	56	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
7.	क्लोरीन टेस्टर	43	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
8.	माली	83	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
9.	बिल वितरक	120	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
10.	हेल्पर	2139	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
11.	पंप अटेंडेंट	423+67	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
12.	स्वीपर	166	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
13.	वाटरमेन	06	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
14.	वाल्वमेन	425	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
15.	चौकीदार	766	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
16.	आइलमेन	211	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
17.	लाईनमेन	22	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
18.	लेब अटेंडेंट	15	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
19.	लेबर	38	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
20.	मैशन	124	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता
21.	टेलीफोन अटेंडेंट	219	चतुर्थ श्रेणी	रु. 4400-7440+1300 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता

अनुसूची - दो क
(नियम-7 देखिए)

कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के भर्ती की प्रक्रिया

अनु- क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत			विभागीय चयन समिति
			सीधी भरती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं में से व्यक्तियों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	एयर कम्प्रेसर आपरेटर	73	100%			मुख्य अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट 1. अधीक्षण यंत्री - अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री - सदस्य 3. सहायक यंत्री - सदस्य टिप्पणी - एक सदस्य या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से होगा।
2.	इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-3	80	100%			तदैव
3.	कारपेन्टर	35	100%			तदैव
4.	सहायक केमिस्ट	117	100%			तदैव
5.	केमिस्ट	21	100%			तदैव
6.	क्लोरीन आपरेटर	31	100%			तदैव
7.	मीटर रीडर	114	100%			तदैव
8.	मैकेनिक ग्रेड-3	219	100%			तदैव
9.	बिल लिपिक	65	100%			तदैव
10.	अनुसंधान सहायक	22	100%			तदैव
11.	शिफ्ट इंचार्ज	17	100%			तदैव
12.	सहायक फिटर	18	100%			तदैव
13.	फिटर ग्रेड-3	65	100%			तदैव
14.	फिल्टर आपरेटर ग्रेड-3	72	100%			तदैव
15.	पंप चालक	142	100%			तदैव
16.	पंप आपरेटर	122	100%			तदैव
17.	पेंटर ग्रेड-3	07	100%			तदैव
18.	प्लम्बर	153	100%			तदैव
19.	प्रयोगशाला सहायक	133	100%			तदैव
20.	समयपाल	388	100%			तदैव
21.	स्टोर क्लर्क	193	100%			तदैव
22.	वायरमेन	85	100%			तदैव
23.	वाहन चालक	599	100%			तदैव
24.	वेल्डर	16	100%			तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	हैण्डपंप तकनीशियन	1039	100%			तदैव
26.	टर्नर	15	100%			तदैव
27.	पाईप फिटर	27	100%			तदैव
28.	फिल्टर फिटर	18	100%			तदैव
29.	उपयंत्री	51	100%			तदैव
30.	फिल्टर सहायक	13	100%			तदैव
31.	सहायक रिग आपरेटर	85	100%			तदैव
32.	रिग आपरेटर	104	100%			तदैव
33.	ड्रिलर	06	100%			तदैव
34.	सहायक ग्रेड-3	17	100%			तदैव
35.	सहायक ग्रेड-2	06	100%			तदैव

अनुसूची - दो ख
(नियम-7 देखिए)
कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी
कर्मचारियों के भर्ती की प्रक्रिया

अनु- क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत			विभागीय चयन समिति
			सीधी भरती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं में से व्यक्तियों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	वाटर ट्रालीमेन	11	100%			मुख्य अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट
2.	फिल्टर अटेंडेंट	24	100%			1. अधीक्षण यंत्री - अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री - सदस्य 3. सहायक यंत्री - सदस्य टिप्पणी - एक सदस्य या तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से होगा ।
3.	खानसामा	07	100%			तदैव
4.	खल्लासी	86	100%			तदैव
5.	कामगार	77	100%			तदैव
6.	क्लीनर	56	100%			तदैव
7.	क्लोरीन टेस्टर	43	100%			तदैव
8.	माली	83	100%			तदैव
9.	बिल वितरक	120	100%			तदैव
10.	हेल्पर	2139	100%			तदैव
11.	पंप अटेंडेंट	423+67	100%			तदैव
12.	स्वीपर	166	100%			तदैव
13.	वाटरमेन	06	100%			तदैव
14.	वाल्वमेन	425	100%			तदैव
15.	चौकीदार	766	100%			तदैव
16.	आइलमेन	211	100%			तदैव
17.	लाईनमैन	22	100%			तदैव
18.	लेब अटेंडेंट	15	100%			तदैव
19.	लेबर	38	100%			तदैव
20.	मेशन	124	100%			तदैव
21.	टेलीफोन अटेंडेंट	219	100%			तदैव

अनुसूची - तीन
(देखिए नियम-8)
कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले
कर्मचारियों की विहित आयु सीमा और अर्हताएं

अनु.- क्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा		शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव
		न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एयर कम्प्रेसर आपरेटर,	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण हो एवं संबंधित ट्रेड का अनुभव होना चाहिए
2.	इलेट्रीशियन ग्रेड-तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	हाई स्कूल प्रमाण पत्र उत्तीर्ण और इलेट्रीशियन ट्रेड में 5 वर्षों का अनुभव
3.	कारपेन्टर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी उत्तीर्ण एवं एवं संबंधित ट्रेड में पांच वर्ष का अनुभव
4.	सहायक केमिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	हायर सेकेण्डरी अथवा (10+2) प्रणाली के तहत 12वी कक्षा रसायनशास्त्र एक विषय के साथ उत्तीर्ण
5.	केमिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	(रसायन शास्त्र विषय के साथ) बी.एस.सी. उत्तीर्ण होना चाहिए । वाटर सीवेज तथा औद्योगिक अपशिष्ट टेस्टिंग में अनुभवी अभ्यर्थी को अधिमानता दी जायेगी ।
6.	क्लोरीटन आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण ।
7.	मीटर रीडर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
8.	मैकेनिक ग्रेड-तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	हायर सेकेण्डरी अथवा (10+2) प्रणाली के तहत 12वी कक्षा उत्तीर्ण एवं आई.टी.आई.से फिटर/ मैकेनिक / डीजल मैकेनिक/ मोटर मैकेनिक/ मशीनिष्ट ट्रेड उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।
9.	बिल लिपिक	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
10.	अनुसंधान सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	रसायन शास्त्र एक विषय से साथ (10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण ।
11.	शिफ्ट इंचार्ज	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
12.	सहायक फिटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
13.	फिटर ग्रेड-तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
14.	फिल्टर आपरेटर ग्रेड-तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
15.	पंप चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।

अनु- क्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा		शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव
		न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	पंप आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
17.	पेंटर ग्रेड-तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
18.	प्लम्बर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं संबंधित ट्रेड की अर्हता और अनुभव ।
19.	प्रयोग शाला सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	बी.एस.सी.रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए ।
20.	समयपाल	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण ।
21.	स्टोर क्लर्क	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण ।
22.	वायरमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण और संबंधित ट्रेड की अर्हता तथा अनुभव ।
23.	वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
24.	वेल्डर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा आई.टी.आई. से डिप्लोमा तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
25.	हैण्डपंप तकनीशियन	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं आई.टी.आई. फिटर/मैकेनिक/मनिशिष्ट ट्रेड में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।
26.	टर्नर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं आई.टी.आई. से संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।
27.	पाईप फिटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं आई.टी.आई. से संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।
28.	फिल्टर फिटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं आई.टी.आई. से संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ।
29.	उपयंत्री	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा सिविल/मैके./इले./इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।
30.	फिल्टर सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित ट्रेड की अर्हता तथा अनुभव ।

अनु- क्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा		शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव
		न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	सहायक रिग आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
32.	रिग आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
33.	ड्रिलर	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड का तीन वर्ष का अनुभव ।
34.	सहायक ग्रेड-तीन	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं म.प्र. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्युटर परीक्षा उत्तीर्ण ।
35.	सहायक ग्रेड-दो	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं म.प्र. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्युटर परीक्षा उत्तीर्ण ।
36.	टेलीफोन अटेंडेंट	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
37.	वाटर टालीमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
38.	फिल्टर अटेंडेंट	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
39.	खानसामा	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
40.	खल्लासी	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
41.	कामगार	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
42.	क्लीनर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
43.	क्लोरीन टेस्टर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
44.	माली	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
45.	बिल वितरक	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।

अनु.- क्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा		शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता तथा संबंधित ट्रेड में अनुभव
		न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46.	हेल्पर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
47.	पंप अटेंडेंट	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
48.	स्वीपर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
49.	वाटरमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
50.	वाल्चमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
51.	चौकीदार	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
52.	आइलमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
53.	लाईनमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
54.	लेब अटेंडेंट	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
55.	लेबर	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।
56.	मेशन	18 वर्ष	35 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित कार्य का अनुभव ।

No. F 2-24/2010/1/34-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and in supersession of all previous notification published in this behalf, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules for regulating the recruitment and conditions of service of work-charged and contingency paid employees in the Madhya Pradesh Public Health Engineering Department, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Public Health Engineering Department Work-charged and Contingency Paid Employees (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.- In these rules unless the context otherwise requires.

- (a) "Appointing Authority" means the authority as specified in column (6) of the Schedule-IA and IIB;
- (b) "contingency paid employee" means a person employed for full time in an office or establishment and who is paid on monthly basis and whose pay is charged to office contingencies excluding employees who are employed for certain periods only in a year;
- (c) "employee" means a contingency paid employee;
- (d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (e) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizen as specified by the State Government vide notification No. F-8-5-XXV dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
- (f) "Scheduled Caste" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
- (g) "Scheduled Tribe" means any tribe or tribal community or part of or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
- (h) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
- (i) "Service" means the Madhya Pradesh Contingencies Paid Employees Service;
- (j) "work charged employee" means a person employed for actual execution of a work other than general supervision of the work or a person employed for the work related to the supervision as departmental labour, in store, running and maintenance of

electric equipment and machinery etc excluding employees who are paid on daily wage basis or on muster roll;

3. Scope and applicability.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the Service.- The service shall consist of the following persons, namely:-

(a) A person who has completed at least one year of service as contingency paid employee on 1st January 2011 and who on the said date was holding the posts specified in the Schedule III or who on that date had not completed the age of superannuation prescribed for employee holding comparable class of posts in the regular employment of the State Government.

(b) A person who is recruited to the services under the provisions of these rules.

5. Classification of service and number of posts.- Classification and the number of posts included in service and the Appointing Authority therefor shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule-IA and I B.

6. Categorization.- The work charged and contingency paid employees shall, for the purposes of these rules be divided into following categories, namely:-

(a) Permanent ; and

(b) Temporary.

The employee who has completed fifteen years of service on the 1st January, 2011 shall be a permanent employee and who had not completed fifteen years of service on the 1st January, 2011 shall be a temporary employee.

7. Mode of recruitment.- (1) The establishment under the Appointing Authority specified in the Schedule shall constitute a unit for all purposes including recruitment and seniority.

(2) Appointment of the contingency paid employees shall be made by the following methods, namely :-

(a) by direct recruitment; and

(b) by transfer.

(3) A Committee shall be constituted in every district consisting of the following members, namely :-

(a) Superintending Engineer of the Circle - Chairman

(b) Executive Engineer - Member (nominated by Superintending Engineer)

(c) An officer not below the rank of Class-II Gazetted either from Scheduled Tribe or Scheduled Caste category, as the case may be - Member

(4) Appointment to any post under this service shall be made in accordance with the recommendations of the Committee constituted under sub rule (3).

(5) Nothing in these rules shall affect reservations and other concession required to be provided to the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes categories in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

(6) Direct recruitment to the posts under this service shall be made out of the list of candidates sponsored by the Employment Exchange when asked by the establishment concerned for the said purpose and if suitable candidates are not available at the Employment Exchange, then the recruitment shall be made after inviting applications through advertisement.

(7) Educational qualifications for filling up of the posts shall be such as prescribed for regular employees of the State Government on corresponding posts, where there are no corresponding posts the qualification shall be prescribed by the Appointing Authority.

(8) Any daily wage paid employee having required educational qualification with minimum 3 years of uninterrupted service will also be eligible for appointment as work charge contingency paid employee.

(9) Where candidates possessing requisite qualifications in respect of training are not available the untrained candidates may also be recruited subject to the condition that they shall make themselves eligible with the requisite qualification of such training within a stipulated period after availing the opportunity for training which is provided by the establishment concerned.

(10) As per the circulars issued by the Government, reservation for physically challenged persons shall be horizontal and on compartment basis.

8. Physical fitness of entrants and age of superannuation.- Physical fitness for recruitment and the age of superannuation shall be the same for new entrants as are applicable to the Government servants of comparable categories in the regular employment.

9. Seniority list.- The seniority list of each category shall be maintained in each unit taking into consideration the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 for the purpose of retrenchment when an employee is transferred from one unit to another in the interest of Government work, his continuity of service in the parent unit shall be taken into account for the matter of retrenchment.

10. Service records.- Proper service records of permanent and temporary employees shall be duly verified at unit levels in the same proforma which is used for Non-Gazetted employees of the State Government.

11. Discharge certificate.- In case an employee leaves the service as a result of retrenchment, he may be given a certificate on his demand by the Appointing Authority in the following form, namely:-

- | | | | |
|-----|-------------------------------|---|----------------|
| (1) | Name | : | |
| (2) | Father name/Husband name | : | |
| (3) | Identification marks(if any) | : | |
| (4) | Total service from | : | to |
| (5) | Appointment held when leaving | : | |
| (6) | Rate of scale of pay(if any) | : | |
| (7) | Reason for quitting service | : | |

Signature of thumb
impression of Employee

Signature.....
Seal and Designation
of Appointing Authority

12. **Conduct.-** The provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965 shall apply to the members of the service:

Provided that the misconduct shall also include the following acts and admissions on the part of an employee, namely :-

- (a) theft, fraud or dishonesty in connection with the Government business or property;
- (b) willful insubordination or disobedience whether alone or in combination with others to any lawful and reasonable order of superior;
- (c) willful damage to or loss of Government goods or property;
- (d) taking or giving bribe or any reward, for carrying out the Government work;
- (e) habitual of late attendance;
- (f) habitual absence without leave or absence without leave for more then ten days;
- (g) habitual breach of any of the conduct rules applicable to the employee of this establishment or department;
- (h) riotous or disorderly behaviour during working hours at the establishment or department or any act subversive of discipline;
- (i) habitual negligence of work including sleeping during working hours;
- (j) frequent repetition of any act or mission;
- (k) willful slowing down in the performance or works;
- (l) disclosure of departmental information to any unauthorised person by an employee;
- (m) gambling and speculation in the premises of the establishment of the department;
- (n) strike or initiating others to go on strike in contravention of the provisions of any law or rule having the force of law for the time being;
- (o) drinking of liquor or any kind of intoxication during working hours; and
- (p) any action against the security of the State.

13. **Penalties.-** The following penalties may be imposed on an employee for good and sufficient cause, namely:-

- (a) censure;
- (b) fine not exceeding one days emolument at a time;
- (c) withholding of increments or promotions;
- (d) recovery from pay of whole or part of any pecuniary loss caused to the Government by negligence or breach of any law;
- (e) suspension for a period not exceeding 14 days at a time (without being entitled to any wages);
- (f) Reversion to a lower post or grade;
- (g) Removal from service shall not be a disqualification for further employment; and
- (h) dismissal from service shall be a disqualification for further employment.

14. **Procedure for imposing penalties.-**(1) No order imposing any of the penalties specified in clauses(f), (g) and (h) of rule 13 shall be passed after,-

- (a) the employee is informed in writing, when possible so to do, of the proposal to take action against him and the allegations on which the action is proposed to be taken;
- (b) the employee has been given an opportunity of hearing to explain his case in regard to the allegations leveled against him; and
- (c) such explanation, if any, is taken into consideration then no person shall be dismissed without the order of the Competent Authority.

(2) It shall not be necessary so to do where the Head of the Department finds it necessary to remove an employee from service on the ground of security of the State.

(3) An order in writing referred to in sub-rule(1) shall take effect immediately on delivery to the employee and in the event of refusal by the employee to accept delivery of it at fixed on the notice board of the establishment on which he is borne and such affixing of the same on the notice board will deemed to have been served on him.

15. **Appeals.**-(1) The employee may prefer an appeal against any penalty imposed on him under rule 13 above, except the penalty imposed on him under clause (a) and (b) of rule 13 within a period of one month from the imposition of penalty to the Authority immediately superior to the Authority which has imposed the penalty. The decision of such appellate authority shall be final.

(2) An appeal-under sub-rule (1) may be submitted directly to the Appellate Authority.

16. **Interpretation.**- If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the Government whose decision shall be final thereon.

17. **Relaxation.**- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules shall apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than which is provided in these rules.

18. **Repeal and Saving.**- The Madhya Pradesh Public Health Engineering Department Work-charge and Contingency Service (Conditions of Service and Recruitment) Rules, 1980 and inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the these rules, so repealed, shall be deemed to have been make or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE-IA

(See rule-5)

Classification of Service and Number of Posts of Work-charge and Contingency Paid Class-III Employees

S. No.	Name of posts	Number of posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Air Compressor Operator	73	Class-III	Rs. 5200-20200+1900 Grade Pay	Chief Engineer
2.	Electrician Grade-III	80	Class-III	Rs. 5200-20200+1900 Grade Pay	Chief Engineer
3.	Carpenter	35	Class-III	Rs. 5200-20200+1800 Grade Pay	Chief Engineer
4.	Assistant Chemist	117	Class-III	Rs. 5200-20200+1800 Grade Pay	Chief Engineer
5.	Chemist	21	Class-III	Rs. 5200-20200+2800 Grade Pay	Chief Engineer
6.	Chlorine Operator	31	Class-III	Rs. 5200-20200+1800 Grade Pay	Chief Engineer
7.	Meter Reader	114	Class-III	Rs. 5200-20200+1800 Grade Pay	Chief Engineer
8.	Mechanic Grade-III	219	Class-III	Rs. 5200-20200+1900 Grade Pay	Chief Engineer
9.	Bill Clerk	65	Class-III	Rs. 5200-20200+1800 Grade Pay	Chief Engineer
10.	Research Assistant	22	Class-III	Rs. 5200-20200+2800 Grade Pay	Chief Engineer
11.	Shift In-charge	17	Class-III	Rs. 5200-20200+1800 Grade Pay	Chief Engineer
12.	Assistant Fitter	18	Class-III	Rs. 5200-20200+1800 Grade Pay	Chief Engineer
13.	Fitter Grade-III	65	Class-III	Rs. 5200-20200+1900 Grade Pay	Chief Engineer
14.	Filter Operator Grade-III	72	Class-III	Rs. 5200-20200+1800 Grade Pay	Chief Engineer
15.	Pump Driver	142	Class-III	Rs. 5200-20200+1800 Grade Pay	Chief Engineer
16.	Pump Operator	122	Class-III	Rs. 5200-20200+1800 Grade Pay	Chief Engineer
17.	Painter grade-3	07	Class-III	Rs. 5200-20200+1800 Grade Pay	Chief Engineer
18.	Plumber	257	Class-III	Rs. 5200-20200+1900 Grade Pay	Chief Engineer
19.	Lab Assistant	133	Class-III	Rs. 5200-20200+1800 Grade Pay	Chief Engineer
20.	Timekeeper	388	Class-III	Rs. 5200-20200+1800 Grade Pay	Chief Engineer
21.	Store clerk	193	Class-III	Rs. 5200-20200+1800 Grade Pay	Chief Engineer
22.	Wireman	85	Class-III	Rs. 5200-20200+1800 Grade Pay	Chief Engineer
23.	Driver	599	Class-III	Rs. 5200-20200+1900 Grade Pay	Chief Engineer
24.	Welder	16	Class-III	Rs. 5200-20200+1900 Grade Pay	Chief Engineer
25.	Hand Pump Technician	1039	Class-III	Rs. 5200-20200+2100 Grade Pay	Chief Engineer
26.	Turner	15	Class-III	Rs. 5200-20200+1900 Grade Pay	Chief Engineer
27.	Pipe Fitter	27	Class-III	Rs. 5200-20200+1900 Grade Pay	Chief Engineer
28.	Filter Fitter	18	Class-III	Rs. 5200-20200+1900 Grade Pay	Chief Engineer

S. No.	Name of posts	Number of posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Sub-Engineer	51	Class-III	Rs. 5200-20200+2800 Grade Pay	Chief Engineer
30.	Filter Assistant	13	Class-III	Rs.5200-20200+1800 Grade Pay	Chief Engineer
31.	Assistant Rig Operator	85	Class-III	Rs, 5200-20200+2100 Grade Pay	Chief Engineer
32.	Rig Operator	104	Class-III	Rs. 5200-20200+2800 Grade Pay	Chief Engineer
33.	Driller	06	Class-III	Rs.5200-20200+1900 Grade Pay	Chief Engineer
34.	Assistant Grade-III	17	Class-III	Rs.5200-20200+1800 Grade Pay	Chief Engineer
35.	Assistant Grade-II	06	Class-III	Rs.5200-20200+1900 Grade Pay	Chief Engineer

SCHEDULE-IB

(See rule-5)

Classification of Service and Number of Posts of Work-charge and Contingency Paid Class-IV Employees

S. No.	Name of posts	Number of posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Water Trolleyman	11	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
2.	Filter Attendant	24	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
3.	Khansanama	07	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
4.	Khalasi	86	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
5.	Kamgar	77	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
6.	Cleaner	56	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
7.	Chlorine Taster	43	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
8.	Mali	83	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
9.	Bill Distributor	120	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
10.	Helper	2139	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
11.	Pump Attendant	423+67	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
12.	Sweeper	166	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
13.	Waterman	06	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
14.	Valveman	425	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
15.	Chowkidar	766	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
16.	Oilman	211	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
17.	Lineman	22	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
18.	Lab Attendant	15	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
19.	Labour	38	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
20.	Meson	124	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer
21.	Telephone Attendant	219	Class-IV	Rs. 4400-7440+1300 Grade Pay	Chief Engineer

SCHEDULE-IIA

(See rule-7).

Procedure of Recruitment of Work-charge and Contingency Paid Class-III Employees

S. No.	Name of post	Number of post	Percentage of posts to be filled in			Departmental Selection Committee
			by direct recruitment	by promotion of members in service	by temporary transfer of persons from other service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Air Compressor Operator	73	100 percent	---	---	Nominated by the Chief Engineer 1. Superintending Engineer - Chairman 2. Executive Engineer - Member 3. Assistant Engineer - Member Note :- One member shall either be from the category of Scheduled Caste or Scheduled Tribe.
2.	Electrician Grade-III	80	100 percent	---	---	-----Do-----
3.	Carpenter	35	100 percent	---	---	-----Do-----
4.	Assistant Chemist	117	100 percent	---	---	-----Do-----
5.	Chemist	21	100 percent	---	---	-----Do-----
6.	Chlorine Operator	31	100 percent	---	---	-----Do-----
7.	Meter reader	114	100 percent	---	---	-----Do-----
8.	Mechanic Grade-III	219	100 percent	---	---	-----Do-----
9.	Bill Clerk	65	100 percent	---	---	-----Do-----
10.	Research Assistant	22	100 percent	---	---	-----Do-----
11.	Shift In-charge	17	100 percent	---	---	-----Do-----
12.	Assistant Fitter	18	100 percent	---	---	-----Do-----
13.	Fitter Grade-III	65	100 percent	---	---	-----Do-----
14.	Filter Operator Grade-III	72	100 percent	---	---	-----Do-----
15.	Pump Driver	142	100 percent	---	---	-----Do-----
16.	Pump Operator	122	100 percent	---	---	-----Do-----
17.	Painter Grade-III	07	100 percent	---	---	-----Do-----
18.	Plumber	257	100 percent	---	---	-----Do-----
19.	Laboratory Assistant	133	100 percent	---	---	-----Do-----
20.	Timekeeper	388	100 percent	---	---	-----Do-----
21.	Store Clerk	193	100 percent	---	---	-----Do-----

S. No.	Name of post	Number of post	Percentage of posts to be filled in			Departmental Selection Committee
			by direct recruitment	by promotion of members in service	by temporary transfer of persons from other service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	Wireman	85	100 percent	---	---	-----Do-----
23.	Driver	599	100 percent	---	---	-----Do-----
24.	Welder	16	100 percent	---	---	-----Do-----
25.	Hand Pump Technician	1039	100 percent	---	---	-----Do-----
26.	Turner	15	100 percent	---	---	-----Do-----
27.	Pipe Fitter	27	100 percent	---	---	-----Do-----
28.	Filter Fitter	18	100 percent	---	---	-----Do-----
29.	Sub Engineer	51	100 percent	---	---	-----Do-----
30.	Filter Assistant	13	100 percent	---	---	-----Do-----
31.	Assistant Rig Operator	85	100 percent	---	---	-----Do-----
32.	Rig Operator	104	100 percent	---	---	-----Do-----
33.	Driller	06	100 percent	---	---	-----Do-----
34.	Assistant Grade-III	17	100 percent	---	---	-----Do-----
35.	Assistant Grade-III	06	100 percent	---	---	-----Do-----

SCHEDULE-IIB

(See rule-7)

Procedure of Recruitment of Work-charge and Contingency Paid Class-IV Employees

S. No.	Name of post	Number of post	Percentage of posts to be filled in			Departmental Selection Committee
			by direct recruitment	by promotion of members in service	by temporary transfer of persons from other service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Water trolley men	11	100	-	-	Nominated by the Chief Engineer 1. Superintending Engineer - Chairman 2. Executive Engineer - Member 3. Assistant Engineer - Member Note :- One member shall either be from the category of Scheduled Caste or Scheduled Tribe.
2.	Filter Attendant	24	100 percent	-	-	-----Do-----
3.	Khansanama	07	100 percent	---	---	-----Do-----
4.	Khallasi	86	100 percent	---	---	-----Do-----
5.	Kamgar	77	100 percent	---	---	-----Do-----
6.	Cleaner	56	100 percent	---	---	-----Do-----
7.	Chlorine Tester	43	100 percent	---	---	-----Do-----
8.	Mali	83	100 percent	---	---	-----Do-----
9.	Bill Distributor	120	100 percent	---	---	-----Do-----
10.	Helper	2139	100 percent	---	---	-----Do-----
11.	Pump Attendant	423+67	100 percent	---	---	-----Do-----
12.	Sweeper	166	100 percent	---	---	-----Do-----
13.	Waterman	06	100 percent	---	---	-----Do-----
14.	Valve man	425	100 percent	---	---	-----Do-----
15.	Chowkidar	766	100 percent	---	---	-----Do-----
16.	Oilman	211	100 percent	---	---	-----Do-----
17.	Lineman	22	100 percent	---	---	-----Do-----

S. No.	Name of post	Number of post	Percentage of posts to be filled in			Departmental Selection Committee
			by direct recruitment	by promotion of members in service	by temporary transfer of persons from other service	
18.	Lab Attendant	15	100 percent	---	---	-----Do-----
19.	Labour	38	100 percent	---	---	-----Do-----
20.	Meson	124	100 percent	---	---	-----Do-----
21	Telephone Attendant	219	100 percent	---	---	-----Do-----

SCEDULE-III

(See rule-8)

Prescribed Age Limit and Qualifications for Work-Charge and Contingency paid Employees

S.No.	Name of post	Prescribed age limit		Educational,technical qualification asnf experience in the respective trade
		Minimum age	Maximum age	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Air Compressor Operator	18 Year	35Year	Eight class passed and experience and qualification of respective trade.
2	Electrician gr-3	18 Year	35Year	five year experience and certificate in Electrician trade
3	Carpanter	18 Year	35Year	Eight Class passed and Five year experience
4	Assistant Chemist	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 with Chemistry as one of the subject.
5	Chemist	18 Year	35Year	B.Sc.(with Chemistry as a subject) preference will be given to the candidate having experience of water sewage and industrial waste testing.
6	Clorine Operator	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 examination passed
7	Meter reader	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 examination passed
8	Mechanic Grade-III	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 examination passed Certificate of Fitter/ Mechanic/ Diesal mechanic/ Motor mechanic/ Machinist trade from Industrial Training Institute
9	Bill clerk	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 examination passed
10	Research Assistant	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 with Chemistry as one of the subject.
11	Shift Incharge	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 and Three Year experience and qualification of respective trade
12	Assistant Fitter	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 and Three Year experience and qualification of respective trade
13	Fitter Grade-III	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 and Three Year experience and qualification of respective trade
14	Filter operator Grade-III	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 and Three Year experience and qualification of respective trade
15	Pump Driver	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 and Three Year experience and qualification of respective trade
16	Pump operator	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 and Three Year experience and qualification of respective trade

S.No.	Name of post	Prescribed age limit		Educational,technical qualification and experience in the respective trade
		Minimum age	Maximum age	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Painter Grade-III	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 and Three Year experience and qualification of respective trade
18	Plumber	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
19	Lab Assistant	18 Year	35Year	Must have passed B.Sc. with Chemistry & Zoology Subject
20	Timekeeper	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2
21	Store clerk	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2
22	Wireman	18 Year	35Year	Must have Passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
23	Driver	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 and Three Year experience and qualification of respective trade
24	Welder	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 and I.T.I. Passed & Three Year experience and qualification of respective trade
25	Handpump Technician	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2, Diploma from I.T.I.in fitter/mechanic/mechanist trade.
26	Turner	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 and I.T.I. Passed & Three Year experience and qualification of respective trade
27	Pipe Fitter	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 and I.T.I. Passed & Three Year experience and qualification of respective trade
28	Filter fiter	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary (10+2 Pattern) and Three Year experience and qualification of respective trade
29	Sub-Engineer	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary (10+2 Pattern) ,Three year Diploma in(Civil/Mech/Electrical)Engineering
30	Filter Attendent	18 Year	35Year	Must have passed Eight class passed and experience and qualification of respective trade.
31	Assistant rig operator	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 and Three Year experience and qualification of respective trade
32	Rig Operator	18 Year	35Year	Must have passed Higher Secondary 10+2 and Three Year experience and qualification of respective trade

S.No.	Name of post	Prescribed age limit		Educational, technical qualification and experience in the respective trade
		Minimum age	Maximum age	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	Driller	18 Year	35Year .	Must have passed Higher Secondary 10+2 and Three Year experience and qualification of respective trade
34	Assistant Grade-III	18 Year	35Year	Higher Secondary 10+2 examination passed and a certificate of Typing from the M.P. Board of Shorthand and Typewriting & Passed Certificate of Computer Operator recognised. Institute.
35	Assistant Grade-II	18 Year	35Year	Higher Secondary 10+2 examination passed and a certificate of Typing from the M.P. Board of Shorthand and Typewriting & Passed Certificate of Computer Operator recognised. Institute.
36	Telephone Attendent	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
37	Water trolley man	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
38	Filter Attendent	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
39	Khansama	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
40	Khalysi	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
41	Kamgar	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
42	Cleaner	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
43	Chlorine tester	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
44	Mali	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
45	Bill Distributor	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
46	Helper	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
47	Pump Attendent	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
48	Sweeper	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.

S.No.	Name of post	Prescribed age limit		Educational, technical qualification and experience in the respective trade
		Minimum age	Maximum age	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
49	Waterman	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
50	Valveman	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
51	Chowkidar	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
52	Oilman	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
53	Lineman	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
54	Lab Attendent	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
55	Labour	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.
56	Meason	18 Year	35Year	Must have passed Eight class and experience and qualification of respective trade.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.